रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 23, 1905
No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY SEPT. 14, 1983/BHADRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

सार्वजनिक सूचना सं. 39-ईटीसी (पीएन)/83

विषय :—कच्चे मैंगनीसाइट का निर्यात ।

मिसिल सं. 6(17)/83-ई-2.—आयात एवं निर्यात नीति पुस्तक, 1983-84 (जिल्द-2) के नीति विवरण के पृष्ठ-19 पर की क्रम सं. 45(8) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक सिलिका तत्व वाले अति-दग्ध मैंगनीसाइट का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण से इस बारे में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमित है कि अतिदग्ध मैंगनीसाइट में सिलिका तत्व 9 प्रतिशत से कम नहीं है और 6.5 प्रतिशत या

इससे अधिक सिलिका तत्व वाले कैल्साइन्ड मैगनीसाइट की स्वीकृत उच्चतम सीमा के भीतर पहले आए जो पहले पाए के आधार पर है ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि कच्चे मैगनीसाइट का निर्यात "गुणवत्ता" के आधार पर अनुमित किया जाएगा । कच्चे मैगनीसाइट के निर्यात के लिए आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय द्वारा विचार किया जाएगा ।

3. तदनुसार, निम्नलिखित प्रविष्टि आयात एवं निर्यात नीति पुस्तक, 1983-84 (जिल्द-2) के पृष्ठ 19 पर के नीति विवरण की क्रम सं. 45(8) के सामने की वर्तमान प्रविष्टि सं. 2 के बाद कालम 3 में जोड़ी जाएगी :—

> "3-कच्चे मैगनीसाइट के निर्यात के आवेदनों पर "गुणवत्ता" के आधार पर विचार किया जाएगा ।"

आनन्द स्वरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th September, 1983

PUBLIC NOTICE NO. 39-ETC(PN)/83

Subject :—Export of Raw Magnesite.

File No. 6(17)/83-EII.—Attention is invited to S. No. 45(viii) at page 19 of the Policy Statement of Import & Export Policy Book 1983-84 (Vol. II) according to which export of dead burnt Magnesite with silica content over 9 per cent is allowed under OGL-3 on production of a certificate from Export Inspection Agency to the effect that silica content in dead burnt magnesite is not below 9 per cent and Calcined Magnesite with silica content of 6.5 per cent or above is allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

2. It has now been decided that export of Raw Magnesite will be allowed "On Merits". Requests for export of Raw Magnesite will be considered by the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

3. Accordingly the following entry shall be made in col. 3, after the existing entry No. 2 against S. No. 45(viii) of the Policy Statement at page 19 of Import and Export Policy Book 1983-84 Vol. II :—

"3—Requests for export of Raw Magnesite will be considered "On Merits".

ANAND SARUP, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 19[illegible]